कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2023/ 45 छिन्दवाड़ा दिनांक 12/01/23

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,
छिन्दवाड़ा वन वृत्त
छिन्दवाड़ा

विषय :– छिन्दवाड़ा जिले में बोमल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 1.690 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 7219 दिनांक 26.12.2022

– ✠✠✠ –

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत बोमल्या से सातग्वारी मार्ग कुल लंबाई 5.60 कि.मी. परिक्षेत्र सांवरी के वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक आर. एफ. 670 लम्बाई 2420 मी. चौड़ाई 7.00 मी. प्रभावित वनक्षेत्र 1.690 हे. के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा से बिंदुवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर आपकी ओर संलग्न निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>बिंदुवार पालन प्रतिवेदन</u>

क्र	आपत्ति	निराकरण
1	आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में पेंच टाईगर रिजर्व से दूरी 82 कि.मी. सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से दूरी 54 कि.मी. दर्शायी है किंतु आपके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या प्रस्तावित एरिया पेंच–सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कारीडोर अंतर्गत आता है अथवा नहीं। प्रकरण में प्रस्तावित एरिया कारीडोर में आता है तो दर्शायें यदि नहीं आता है तो कारीडोर से कितनी दूरी पर है उल्लेख करें।	प्रस्तावित क्षेत्र पेंच–सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कारीडोर कक्ष क्रमांक आर एफ 670 की सीमा से लगा हुआ है।
2	प्रस्तावित एरिया पर आवेदक विभाग द्वारा कार्य तो शुरु नही किया गया है अपना प्रतिवेदन देवें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। (आवेदक विभाग का प्रतिवेदन संलग्न है)
3	क्या प्रस्तावित पूर्ण रोड में वन क्षेत्र के अलावा वन क्षेत्र के बाहर छोटे–बड़े झाड के जंगल मद की राजस्व भूमि तो प्रभावित नहीं हो रही है। इस संबंध में क्या राजस्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त की गयी। स्पष्ट करें।	प्रस्तावित पूर्ण रोड में वन क्षेत्र के बाहर छोटे–बड़े झाड़ की जंगल मद की राजस्व भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। (आवेदक विभाग का प्रतिवेदन संलग्न है)
4	वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण टीप के बिंदु क्रमांक 15 में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि की जानकारी में आपके द्वारा Not Required लिखा है जबकि प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमीन दी जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति जारी कर भेजी गयी है। विरोधाभासी जानकारी का कारण स्पष्ट करें।	सुधार कर संलग्न है।
5	वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण टीप के बिंदु क्रमांक 20 में प्रस्तावित एरिया का Alternate आवेदक विभाग	उक्त मार्ग 1980 के पूर्व का है। मार्ग चौड़ीकरण होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु लिया गया

	से क्यों नहीं ढुंढवाया गया।	है।
6	प्रपत्र भाग–2 के District Profile में वर्तमान अद्यतन जानकारी भरना सुनिश्चित करें।	प्रपत्र भाग–2 के District Profile में वर्तमान अद्यतन जानकारी की पूर्ति की गई है।
7	प्रकरण में भारत शासन के पत्र कमांक 6-MPB011/2022-BHO दिनांक 25.04.2022 के बिंदु कमांक 2 से ली गयी आपत्ति की प्रस्ताव में CWLW मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन प्राप्त कर संलग्न करना सुनिश्चित करें।	उक्त बिंदु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी से संबंधित है।
8	प्रकरण में भारत शासन के पत्र कमांक 6-MPB011/2022-BHO दिनांक 25.04.2022 के बिंदु कमांक 6 के तारतम्य में चाहे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र रेल्वे विभाग का संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित मार्ग में जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। रेल्वे विभाग की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
9	प्रकरण में भारत शासन के पत्र कमांक 6-MPB011/2022-BHO दिनांक 25.04.2022 के बिंदु कमांक 11 के तारतम्य में रोड साईड वृक्षारोपण प्रोजेक्ट प्रस्तुत करें	प्रस्तावित मार्ग के प्राक्कलन में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है। (आवेदक विभाग का प्रतिवेदन संलग्न है)

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2022/ 46 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 12/01/2023

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा